



राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

सिडको, ईलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, रंगरेट

श्रीनगर, जम्मू कश्मीर-191132

**National Institute of Fashion Technology**

Ministry of Textiles, Govt. of India

SIDCO Electronic Complex, Rangreth,

Srinagar, J&K - 191132

16782(1)/निफ्ट/श्रीनगर/राजभाषा/आदेश/2019/1006

दिनांक-21/10/2021

16782(1)/NIFT/SGR/Rajbhasha/Order/2019/1006

आदेश

Order

विषय- सभी प्रशासनिक दस्तावेजों की द्विभाषिता सुनिश्चित करने और उन पर हिंदी में हस्ताक्षर करने के संदर्भ में।  
Sub- Regarding ensuring bilingualism of all the important administrative documents and signing those in Hindi.

संदर्भ- सं. 1200(9)/हिंदी/जांच बिंदु/2021/544, दिनांक 20-07-2021, निफ्ट मुख्यालय  
Ref-No. 1200(9)/Hindi/Check Points/2021/544, dated 20-07-2021, NIFT HO

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएँ, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियाँ, संसद के किसी भी सदन या दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन और सरकारी कागजात, संविदा, करार, निविदा सूचनाएँ, निविदा फार्म द्विभाषी रूप में अर्थात् अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में एक साथ जारी किए जाएँ। किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को जिम्मेदार माना जाएगा।

निफ्ट मुख्यालय के आदेश संख्या 1200/(9)/हिंदी/जाँच बिंदु/2021/544 दिनांक 20-07-2021 में वांछित है कि उपरोक्त नियमों का भाषा और भाव की दृष्टि से पालन सुनिश्चित करने के अलावा उपरोक्त नियम को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए। साथ ही प्रशासनिक कार्यों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सभी अधिकारी ऐसे सभी दस्तावेजों पर हिंदी में हस्ताक्षर भी करेंगे।

Under the Official Language Act 1963 section 3 (3 ) resolutions, general orders, rules, notifications, administrative or other reports, press communiqués, administrative and other reports and official papers laid before a House or the Houses of Parliament, contracts, agreements, tender information, tender forms must be issued bilingually i.e. both in Hindi and in English simultaneously. **In case of any violation, the officer who signs the document shall be responsible.**

NIFT HO vide order no. 1200(9)/Hindi/Check Points/2021/544 dated 20-07-2021 has desired that the above rule shall be brought in notice of all concerned apart from ensuring to follow the above rules in letter and spirit. Further all officers shall also sign all such documents in Hindi to promote Hindi in administrative work.

आदेश से/By Order:

मलिक ए आर

परामर्शदाता-1 (राजभाषा प्रकोष्ठ)  
Consultant-1 (Rajbhasha Cell)

प्रतिलिपि / Copy to:

1. सभी प्रशासनिक कर्मचारी / All the administrative staff
2. निदेशक के निजी सहायक को निदेशक के सूचनार्थ / PA to Director for information of Director.